



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-08112021-230968
CG-DL-W-08112021-230968

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 40] नई दिल्ली, अक्टूबर 24—अक्टूबर 30, 2021 शनिवार/ कार्तिक 2—कार्तिक 8, 1943
No. 40] NEW DELHI, OCTOBER 24—OCTOBER 30, 2021, SATURDAY/KARTIKA 2—KARTIKA 8, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 735.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री जयदीप दत्त राय (जन्म तिथि 1.7.1972) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई.फा. सं. 4/2/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 735.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Joydeep Dutta Roy (date of birth: 1.7.1972), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director, Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 736.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री आशीष पाण्डेय (जन्म तिथि 24.6.1971) को दिनांक 31.12.2021 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 736.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Asheesh Pandey (date of birth: 24.6.1971), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director, Bank of Maharashtra for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 31.12.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 737.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री अश्विनी कुमार (जन्म तिथि 2.9.1969) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई फा. सं. 4/2/2021-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 737—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Ashwani Kumar (date of birth: 2.9.1969), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director, Indian Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 738—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री कल्याण कुमार (जन्म तिथि 10.1.1969) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई.फा. सं. 4/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 738—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Kalyan Kumar (date of birth: 10.1.1969), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director, Punjab National Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 739—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूको बैंक के महाप्रबंधक श्री निधु सक्सेना (जन्म तिथि 10.6.1968) को श्री गोपाल सिंह गोसाई के स्थान पर दिनांक 1.2.2022 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई.फा. सं. 4/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 739—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Nidhu Saxena (date of birth: 10.6.1968), General Manager, UCO Bank as Executive Director, Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.2.2022, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Gopal Singh Gusain.

[e F. No. 4/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 740.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. रामजस यादव (जन्म तिथि 18.4.1964) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु (अर्थात् 30.4.2024) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई.फा. सं. 4/2/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 740.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby appoints Dr Ramjass Yadav (date of birth: 18.4.1964), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director, Punjab & Sind Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 30.4.2024), or until further orders, whichever is earlier.

[e F. No. 4/2/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर, 2021

का.आ. 741.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री रजनीश कर्नाटक (जन्म तिथि 14.7.1970) को श्री दिनेश कुमार पूनम चंद गर्ग के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[ई.फा. सं. 4/2/2021-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 21st October, 2021

S.O. 741.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Rajneesh Karnatak (date of birth: 14.7.1970), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director, Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Dinesh Kumar Poonam Chand Garg.

[e F. No. 4/2/2021-BO.I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.